तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदेश हुक्म में
10.4.14	वकुलाय फरीकैन 340, प्रा०पत्र 0.1 R.10 CPC पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दि० 30.4.14 को पेश हो। ह०	
30.4.14	वकुलाय फरीकैन 340 / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 1.5.14 को पेश हो। ह०	
1.5.14	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। आज पत्रावली प्रार्थिया आह्लादे की पुत्री श्रीमति इन्द्री देवी W/o द्वारका प्रसाद के प्रा०पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा० दी० के आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थिया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। वादी ने यह दावा वि० आ० ख० नं० $\frac{903}{0.72}$ वाके कस्बा नगर पर वादी प्रदीप कुमार पुत्र अजीत प्रसाद एवं प्रतिवादी कौशल कुमार पुत्र अजीत प्रसाद जाति वैश्य नि० कस्बा नगर को बहैसियत काबिज खातेदारी घोषणा बाबत प्रस्तुत किया है। पत्रावली [illegible] अंकित नकल जमाबन्दी [illegible] ग्राम कस्बा नगर [illegible] ख० नं० $\frac{903}{0.72}$ की बाबत "श्रीमति इन्द्री देवी धर्मपत्नी द्वारका प्रसाद, अजीत प्रसाद पुत्र किशोरी लाल जाति वैश्य नि० देह समभाग खातेदार" दर्ज होना पाया जाता है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थि-	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:10:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंगूरी देवी निःसंतान होने से खातेदार थी। जिसपर वादी एवं प्रतिवादी गोलबट(?) अपने आपको खातेदार घोषित कराना चाहते हैं। प्रा-पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. की बहस के दौरान वकील पक्ष ने खातेदार श्रीमति अंगूरी द्वारा दिनांक 16.11.93 को वादी, प्रतिवादी तथा उनकी माता के पक्ष में करवाई गई वसीयत की फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर यह तथ्य सामने आया कि यह विवाद वसीयत से जुड़ा हुआ है, तथा अपीलार्थी अशर्फी देवी ~~[illegible]~~ वसीयतकर्ता अंगूरी देवी की पुत्री है जिसका उल्लेख वसीयत में भी किया है। वसीयत के सम्बंध में वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, वादी चाहे तो इस सम्बंध में सक्षम अधिकारी तहसीलदार के समक्ष वसीयत के आधार पर चाराजोई कर सकता है। वादी को इस न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। अतः दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। (हस्ताक्षर) (हरिनाथ आदित्य) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज० आदेश आज ... खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (हरिनाथ आदित्य) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:10:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner